

## बिहार सरकार

## वित्त विभाग

## संकल्प

पटना, दिनांक.../११/०८/१६

**विषय :-स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के संदर्भ में ।**

राज्य में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नई स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं०-9391 दिनांक 25.11.2019 द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में स्कीम स्क्रीनिंग समिति गठित है, जिसका स्वरूप निम्नवत है :-

- |                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| (i) विकास आयुक्त                                             | - अध्यक्ष    |
| (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग            | - सदस्य      |
| (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग | - सदस्य सचिव |
| (iv) संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव        | - सदस्य      |

2. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की कार्य अवधि का विस्तार समय-समय पर किया जाता रहा है। विभागीय संकल्प संख्या-343 दिनांक-09.04.2026 द्वारा स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल दिनांक-31.03.2027 तक के लिए विस्तारित किया गया है ।

3. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया जाता है कि निम्नांकित विषयों से संबंधित स्कीम के लिए स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समीक्षा एवं अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है:-

- (i) आपदा से संबंधित स्कीम,
- (ii) विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम,
- (iii) भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत पटना राजधानी क्षेत्र में लोक भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय भवनों एवं सरकारी आवासों के जीर्णोद्धार/उन्नयनीकरण/नवनिर्माण कार्य/फर्नीचर-उपस्कर कार्य/विद्युतीकरण/उद्यान विकास/मूर्ति निर्माण कार्य आदि से संबंधित योजनाएँ ।

(iv) उक्त क्रमांक-(i) से (iii) में वर्णित मूल स्कीम का Supporting स्कीम ।

(v) नई स्कीम जिसकी अनुमानित कुल लागत ₹50.00 लाख तक की हो, बशर्ते की एक ही प्रकृति के स्कीमों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं किया गया हो ।

**नोट:-** मूल स्कीम के Supporting स्कीम का उदाहरण, यथा, भवन निर्मित हो, उसका Furniture, विद्युतीकरण, संपर्क सड़क तथा transformer अधिष्ठापन आदि से संबंधित योजना। इसी प्रकार विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए थाना भवन का निर्माण ।

4. इस प्रकार उपर्युक्त कंडिका-3 में वर्णित विषय/स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम जिसकी अनुमानित लागत ₹15.00 करोड़ तक की हो, की समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-1 में वर्णित समिति के समक्ष निम्नवत् रखे जाएँगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा :-

(i) ₹5.00 करोड़ तक की नई स्कीमों की समीक्षा हेतु प्रस्ताव विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा एवं विभागीय सचिव के अनुमोदन के उपरान्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाएँगे ।

(ii) ₹5.00 करोड़ से अधिक एवं ₹15.00 करोड़ तक की नई स्कीमों की समीक्षा हेतु प्रस्ताव विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा एवं विभागीय सचिव के अनुमोदन के उपरान्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृति प्राधिकार के रूप में इस पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

5. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त नई स्कीमों की स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2(क), समय-समय पर यथा संशोधित में वर्णित है ।

6. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव (यथा, संकल्प निर्गत होने की तिथि) से दिनांक-31.03.2027 तक की विस्तारित अवधि में प्रभावी रहेगी ।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

  
12.8.26  
(रचना पाटिल)  
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक:-एम-4-5/2022 973 /वि०, पटना, दिनांक:- 12/08/26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
12.8.26  
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक:-एम-4-5/2022 973 /वि०, पटना, दिनांक:- 12/08/26

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
12.8.26  
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक:-एम-4-5/2022 973 /वि०, पटना, दिनांक:- 12/08/26

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य(वित्त)मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, वित्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव (व्यय)/अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव/सभी प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
12.8.26  
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक:-एम-4-5/2022 973 /वि०, पटना, दिनांक:- 12/08/26

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
12.8.26  
सचिव (व्यय) ।